एस.एस. पुरोहित

12-1-18 वकालतनामा मय वकील हाजिर।
वादी श्रीमान के साथ
श्री सत्यनारायण श्री कौन है व साक्ष्य
शपथ-पत्र पेश करने व बयान
कलमबंद किए जाने हेतु
निवेदन किया गया। दीगर साक्ष्य
पेश नहीं करना चाहते व साक्ष्य
बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते
बहस अंतिम नियत 29-1-18
को पेश हो।

29-1-18 वकालतनामा मय वकील हाजिर।
बहस अंतिम सुनी गई।
पत्रावली वास्ते आदेश अंतिम नियत
30-1-18 को पेश हो।

30-1-18 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।

वकील वादी द्वारा वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया है, कि अराजी मौजा सांकाणा तहसील आहोर के ख0 नं0 1599 रकबा 0.48 है0 ख0 नं0 1606 रकबा 0.57 है0 ख0 नं0 1607 रकबा 0.55 है0 एवं ग्राम बादनवाड़ी के ख0नं0 551/703 रकबा 2.04 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी आई हुई है। उक्त खातेदारी आराजी में वादी का नाम चतरमाण पुत्र सवाजी कौम पुरोहित सा0 देह खातेदार दर्ज है। वादी को बचपन में घर पर एवं बोलचाल, लाड प्यार से चतरमाण के नाम से पुकारते थे, जबकि वादी के संबंधित दस्तावेजात में सत्यनारायण दर्ज है। राजस्व

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर जिला-जालोर

रेकर्ड में चतरमाण के स्थान पर सत्यनारायण नाम दर्ज करवाने हेतु दावा पेश किया है। सत्यनारायण व चतरमाण नाम का एक ही व्यक्ति है। इन नामो का अलग-अलग व्यक्ति नही है। उक्त आराजी का विभाजन करवाने हेतु पटवारी हल्का सांकरणा से सम्पर्क किया तब जानकारी मिली की वादी के बचपन का नाम चतरमाण दर्ज है जबकि तमाम दस्तावेज में सत्यनारायण दर्ज होने से विभाजन किया जाना सम्भव नही है। वादी के पास अन्य कोई विकल्प नही होने से नकले प्राप्त कर अन्दर म्याद दावा पेश किया है। दावे के समर्थन में राशनकार्ड, मतदाता सूची, फोटो परिचय पत्र, बैंक पास बुक, फोटोयुक्त पहचान-पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड भामाशाह कार्ड एवं स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किये है। सहखातेदार बचनाराम की पत्नि लीलादेवी का दिनांक 29-1-05 को स्वर्गवास हो जाने से उनको पक्षकार नही बनाया है। इनके कारण मुकदमा वेकवाड पत्र में सेमोजित किया हुआ है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो, सहखातेदारो की सहमति एवं भूअभिलेख तहसीलदार आहोर द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर वादी का वास्तविक सही नाम चतरमाण के स्थान पर सत्यनारायण दर्ज करवाने का आदेश फरमावें। जिस पर वकील प्रतिवादी एवं राज पैरोकार तहसीलदार आहोर द्वारा भी दावा डिक्री किया जाने में सहमति व्यक्त की। जिससे दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आहोर को आदेशित किया जाता है, कि मौजा सांकरणा के ख० नं० 1599, 1606, 1607 कुल रकबा 1.60 हैं० एवं मौजा बादनवाडी के ख० नं० 551/703 रकबा 2.04 हैं० में दर्ज खातेदार चतरमाण पुत्र सवाजी के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र सवाजी दुरुस्त करें। डिक्री पर्चा मुताबिक हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

[मनमोहन व्यास] RAS
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला-जालोर)